

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2569  
जिसका उत्तर बुधवार, 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

### न्यायालय में लंबित मामले

#### 2569. श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार भारत में स्थित न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का रिकॉर्ड रखती है ;
- (ख) यदि हा. तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या सरकार अपनी ओर से भारत में त्वरित न्याय देने के लिए कदम उठा रही है, और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

#### उत्तर

#### विधि और न्याय मंत्री ( श्री किरेन रीजीजू )

**(क) और (ख) :** उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में, राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर है। तारीख 02.07.2021 को यथाविद्यमान माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 69,212 है।

**(ग) और (घ) :** न्यायालयों में मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे हेतु कोई समयसीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे और लंबित मामलो में कमी के लिए प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे हेतु पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,644.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 20,218 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 22.07.2021 तक 17,815 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 2,693 न्यायालय हाल और 1,852 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय इकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इसके अन्तर्गत अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी होगा।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। 01.07.2021 तक 5063 की वृद्धि दर्ज करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है। मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तारीख 01.07.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.77 करोड़ मामलों तथा 14.61 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं। 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है। कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा वर्चुअल सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनो में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में बारह वर्चुअल न्यायालय गठित किए गए हैं। तारीख 12.07.2021 तक इन न्यायालयों ने 75 लाख मामले निपटाए तथा 160.05 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 30.06.2021 तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला न्यायालयों ने 74,15,989 सुनवाईयां और उच्च न्यायालयों ने 40,43,300 सुनवाईयां (कुल 1.14 करोड़) सुनवाईयां की हैं। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि आरम्भ होने के समय से 09.07.2021 तक 96,239 सुनवाईयां की।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 602 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 551 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1098 किया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
29.07.2021	24,368	19,259

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है।

(iv) **बकाया समितियों के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप

में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 30.04.2021 को जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, आदि के लिए 870 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं। इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160.00 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए जून, 2021 तक 39.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 640 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 338 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होंने 31.05.2021 तक 50,484 मामले निपटाए हैं।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है।

\*\*\*\*\*

उपाबंध-1

न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	29.07.2021 तक लंबित मामले
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	799139
2.	बंबई उच्च न्यायालय	559314
3.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	268476
4.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	53570
5.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	247976
6.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	215093
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	77840
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	101658
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	151022
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	79832
11.	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय	53462
12.	झारखंड का उच्च न्यायालय	86229
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	283240
14.	केरल उच्च न्यायालय	221248
15.	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय	404250
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	4685
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1382
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	698588
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	554343
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	221
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1508
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	40814
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	582599
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	175710
25.	पटना उच्च न्यायालय	214433
	<b>कुल</b>	<b>5876632</b>

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड।

उपाबंध-2

न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	29.07.2021 तक लंबित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	7,10,627
2.	अरुणाचल प्रदेश*	----
3.	असम	3,78,101
4.	बिहार	33,15,499
5.	चंडीगढ़	64,397
6.	छत्तीसगढ़	3,58,540
7.	दिल्ली	10,48,718
8.	दमण और दीव	2,994
9.	सिलवासा, दादर और नागर हवेली	3,591
10.	गोवा	59,998
11.	गुजरात	20,38,575
12.	हरियाणा	12,27,281
13.	हिमाचल प्रदेश	4,51,778
14.	जम्मू - कश्मीर	2,45,039
15.	झारखंड	4,78,545
16.	कर्नाटक	19,49,413
17.	केरल	19,89,297
18.	लद्दाख	833
19.	लक्षद्वीप*	----
20.	मध्य प्रदेश	17,55,610
21.	महाराष्ट्र	49,20,820
22.	मणिपुर	11,916
23.	मेघालय	10,823
24.	मिजोरम	4,961
25.	नागालैंड	2,489
26.	उड़ीसा	14,62,304
27.	पुदुचेरी	34,456
28.	पंजाब	9,18,667
29.	राजस्थान	19,62,887
30.	सिक्किम	1,853
31.	तमिलनाडु	12,95,249
32.	तेलंगाना	7,51,958
33.	त्रिपुरा	41,680
34.	उत्तर प्रदेश	90,65,145
35.	उत्तराखंड	2,84,535
36.	अण्डमान और निकोबार*	----
37.	पश्चिमी बंगाल	24,82,373
	<b>कुल</b>	<b>3,93,30,952</b>

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।

\*अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

\*\*\*\*\*